न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्या: 120/2015

मोहम्मद युसुफ पुत्र दारे खां जाति मुसलमान निवासी 2 जीबी हिन्दो तहसील श्रीविजयनगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री शिशपाल शर्मा
2. पैरोकार राज.

दिनांक: 07.08.2019

निर्णय

1. यह अपील बहुकम तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के निर्णय दिनांक 07.10.2015 प्र.स. 49/2015 के विरूद्ध इस न्यायायल मे प्रस्तुत की गई। अपील में अपीलांट ने निवेदन किया है कि मातहत न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश में चक 10 एन डी एम का प0न0 107/358 की 3.034 है0 रकबा भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते मौका पर खडी फसल को कुर्क कर नीलाम करने व प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने कर 303/–तावान व अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए तीन माह सिविल कारावास से दण्डित किया गया है जबकि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 मे यह प्रावधान है कि प्रश्नगत भूमि से फसल उठाने का मौका दिया जाना चाहिये, इसके बाद भी फसल नहीं उठाता हे तो फसल कुर्क व जुर्माना कायत होगा। अदालत मातहत ने एक साथ तीन सजाये दी है तो पूर्णतया गलत है। उक्त भूमि बारानी, अनकमाण्ड भूमि है जो बरसात होने पर काश्त होती है, मौका पर गवार की फसल काश्त को थी परन्तु फसल बरसात नहीं होनें के कारण बरबाद हो गई है। अदालत मातहत का निर्णय साईक्ले स्टाईल फैसला है जिसमें अदालत मातहत द्वारा कतई माईन्ड अप्लाई नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।
2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 120/15 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की और से श्री अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा उपस्थित हुए एवं राजपेरोकार उपस्थित आए। बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया मातहत अदालत ने अपीलांट को सुने बिना ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लिया एवं एक साथ तीन–तीन सजाये सुना दी। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही समस्त कार्यवाही की गई है। उक्त रिपोर्ट भी रजिंशवद्रा की गई है। वादग्रस्त भूमि का मौका जांच भी नही की गई, व न ही पटवारी के बयान लिये गये । उक्त तमाम कार्यवाही नियम विरूद्व की गई है, क्योंकि धारा 22 कालो. एक्ट 1954 में फैसला पारित करने से पूर्व फसल उठाने व सुनने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए । एक साथ तीन तीन सजाए नहीं दी जा सकती न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

फैसला गलत है। प्रार्थी के अपने खुद के रकबा की काश्त को नाजायज काश्त मानकर जैर अपील आदेश पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपारित होने के कारण निरस्त किया जावे व अपील स्वीकार की जावे।

3. राज पैरोकार ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट पटवारी सही है। अपीलांट के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है व प्रकरण तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में पुनः सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

([illegible]वीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner